



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01102021-230102
CG-MH-E-01102021-230102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429]
No. 429]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

अधिसूचना

मुंबई, 30 सितम्बर, 2021

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य (संशोधन) विनियमावली, 2021

केंका.डीआईसीजी.एसईसीडी.सं.एस 278 / 01-01-013/2021-2022.—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 की संख्या 47) की धारा 50 की उपधारा(1) और उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961, इसके बाद इसे "प्रमुख विनियमावली" के रूप में जाना जाएगा, में सहर्ष निम्नलिखित संशोधन करता है :

1. इस विनियमावली का नाम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य (संशोधन) विनियमावली, 2021 होगा ।
 2. ये विनियम 22 सितंबर 2021 से प्रभावी माने जाएंगे ।
 3. प्रमुख विनियमावली में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:
- (i) प्रमुख विनियमावली में विनियम 21 के बाद निम्नलिखित अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात :-

“21ए (1) बीमित बैंक, धारा 18ए की उप-धारा (2) के तहत सूची और प्रमाणीकरण प्रस्तुत करते समय, निगम द्वारा निर्दिष्ट रूप में उन जमाकर्ताओं के नाम और खातों का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिन्होंने बीमाकृत बैंक में अपनी जमा राशि के संबंध में बीमित राशि प्राप्त करने की अपनी सम्मति की पुष्टि की है और उस फॉर्म में मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रभारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा भी शामिल होगी जो जमाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित और प्रस्तुत

घोषणाओं की उपलब्धता के बारे में पुष्टि के साथ इसकी सामग्री की शुद्धता के बारे में होगी, साथ ही इन घोषणाओं को संरक्षित करने और निगम द्वारा निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर प्रस्तुत करने का परिवचन होगा।

(2) बीमाकृत बैंक जमाकर्ताओं की सम्मति को निगम द्वारा निर्दिष्ट फॉर्म में प्राप्त करेगा जिसमें बीमा राशि प्राप्त करने के लिए जमाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित सम्मति की एक स्पष्ट घोषणा अनिवार्य रूप से शामिल होगी। साथ ही इसमें दी गई सामग्री की शुद्धता के बारे में मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रभारी व्यक्ति द्वारा प्रमाणन भी शामिल होगा और इस प्रकार प्राप्त फॉर्म निगम द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर और तरीके से निगम को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) जहां बीमित बैंक उप-विनियम (1) के तहत फॉर्म जमा करने के बाद, लेकिन धारा 18 ए की उपधारा (4) के पहले, परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जमाकर्ता की सम्मति प्राप्त करता है, वह उसका विवरण उप-विनियम (1) के तहत निर्दिष्ट फॉर्म में निगम द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर और तरीके से प्रस्तुत करेगा।

(4) धारा 17 के तहत परिसमापक द्वारा किए गए दावे और धारा 18 के तहत अंतरिती/बीमित बैंक की सत्यता और प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए बोर्ड के अनुमोदन से निगम द्वारा अपनाई गई दावा निपटान प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तनों के साथ निम्न की वास्तविकता और प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए लागू की जाएगी -

(क) धारा 18ए की उपधारा (2) के तहत बीमित बैंक द्वारा प्रस्तुत सूची में किया गया दावा; तथा

(ख) जमाकर्ता की सम्मति सुनिश्चित करने के लिए उप-विनियम (1), (2) और (3) में संदर्भित फॉर्म और घोषणाएं।”

(ii) प्रमुख विनियमावली में विनियम 22 के बाद निम्नलिखित अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात :-

“22ए (1) विनियम 22 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहां निगम बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक, जैसा भी मामला हो, की वित्तीय स्थिति के बारे में संतुष्ट है और अपेक्षित समयावधि को ध्यान में रखते हुए जो नकदी प्रवाह उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होगी, पूंजी प्रवाह, तरलता, व्यावसायिक लाभ, परिसंपत्तियों की बिक्री, बीमित बैंक का पुनर्गठन, अबीमित जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों सहित हितधारकों को भुगतान करने के लिए, यह आकलन करता है कि बैंक निगम को पुनर्भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो निगम इसे स्थगित कर सकता है या देय चुकौती की प्राप्ति की समय-सीमा को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, जो बोर्ड विशेष रूप से तय कर सकता है, अलग-अलग कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित बोर्ड का निर्णय बैंक पर बाध्यकारी होगा और जब तक निगम को पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक बीमित बैंक या अंतरिती बैंक को, जैसा भी मामला हो, बोर्ड के निर्णय के संदर्भ में निर्दिष्ट श्रेणियों की देनदारियों के अलावा अन्य देनदारियों के निर्वहन से प्रतिबंधित किया जाएगा।

(3) निगम वित्तीय स्थिति और बैंक की चुकौती करने की क्षमता के आकलन के उद्देश्य से, समय-समय पर या आवधिक रूप से बैंक को ऐसे रिकॉर्ड या विवरण जमा करने और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जिसे निगम आवश्यक और समीचीन समझता है और बैंक इसका अनुपालन करेगा।”

आर सुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./294/2021-22]

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th September, 2021

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION GENERAL (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

CO.DICG.SECD.No.S 278/01-01-013/2021-2022.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (j) of Sub-section (2) of Section 50 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961(No.47 of 1961), the Board of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, with the previous approval of the Reserve Bank of India, is pleased to make the following amendments to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961, hereinafter known as “Principal Regulations”.

1. These Regulations may be called the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General (Amendment) Regulations, 2021.

2. These Regulations shall deemed to have come into force from the date September 22, 2021.

3. The following amendments be made to the Principal Regulations:

(i) In the Principal Regulations, after Regulation 21 the following shall be inserted, namely:--

“21A. (1) The insured bank, while furnishing the list and the certification under sub-section (2) of section 18A, shall submit in such form as specified by the Corporation, the name and account details of depositors who have affirmed their willingness to receive the insured amount in respect of their deposit in the insured bank, and that form shall also contain a declaration signed by the chief executive officer/the person in charge as to the correctness of the contents thereof along with a confirmation as to availability of the declarations signed and submitted by the depositors, and an undertaking to preserve and submit the said declarations to the Corporation, within such time and in such manner as specified by the Corporation.

(2) The insured bank shall obtain willingness of the depositors in such form as may be specified by the Corporation, which shall necessarily include an express declaration of willingness signed by the depositor to receive the insured amount along with a certification by the chief executive officer/the person in charge as to the correctness of the contents thereof, and the forms so obtained shall be submitted to the Corporation within such time and in such manner specified by the Corporation.

(3) Where the insured bank receives willingness of a depositor after submission of the Form under sub-regulation (1) but within the period specified in the first proviso to sub-section (4) of section 18A, it shall submit the details thereof in the same format specified under sub-regulation (1) within such time and in such manner specified by the Corporation in the same format specified under sub-regulation (1).

(4) The claim settlement procedure adopted by the Corporation with the approval of the Board, for verifying the genuineness and authenticity of the claim made by the liquidator under section 17 and the transferee/insured bank under section 18 shall *mutatis mutandis* be applied for verification of the genuineness and authenticity of the -

(a) claim made in the list furnished by the insured bank under sub-section (2) of section 18A; and

(b) the forms and declarations referred to in sub-regulations (1), (2) and (3), for ascertaining the willingness of the depositor.”

(ii) In Principal Regulations, after Regulation 22, the following shall be inserted, namely:--

“22A. (1) Notwithstanding anything contained in Regulation 22, where the Corporation is satisfied about the financial position of the insured bank or the transferee bank, as the case may be, and keeping in view the expected time period that would be sufficient to generate cash flows, capital infusion, liquidity, business profits, sale of assets, restructuring of the insured bank, to pay the stakeholders including uninsured depositors and other creditors, makes an assessment that the bank is not capable of making repayment to the Corporation, then it may defer or vary the time limit for receipt of repayments due to it for such period and upon such terms as the Board may specifically decide.

(2) The decision of the Board referred in sub-regulation (1) shall be binding on the bank and till such time as repayment is made to the Corporation, the insured bank or the transferee bank, as the case may be, shall be prohibited from discharging the classes of liabilities, other than those specified in terms of the decision of the Board.

(3) The Corporation may, for the purpose of assessment of the financial position and the capability of the bank to make repayment, call upon the bank, from time to time or periodically, to submit such records or statements and furnish such information as the Corporation considers it necessary and expedient and the bank shall comply with the same.”

R SUBRAMANIAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./294/2021-22]